न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 15, लखनऊ।

सत्र परीक्षण संख्या—186 / 2019.

सरकार——————————————बनाम—————————————— हसीब व अन्य

अ0सं0— 612 / 2018

धारा— 147,148,302 / 149,307 / 149,

504,506,120बी भा0दं0सं0

थाना—काकोरी, लखनऊ।

आरोप

मैं, अरविन्द मिश्र, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 15, लखनऊ आप हसीब व मो0 शोएब को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ:—

प्रथमः—यह कि दिनांक 26.8.2018 को शाम 6 बजे वादी वसी अहमद की दुकान पर चढकर आप दोनों अभियुक्तगण ने अपने अन्य साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव बनाते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में शोएब को लाठी, डण्डा, लकडी की फण्टी व धारदार हथियार से मारपीट कर उसकी हत्या कारित कर दी। आप दोनों के द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर किया गया उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा— 302 / 149 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः—यह कि दिनांक 26.8.2018 को शाम 6 बजे वादी वसी अहमद की दुकान पर चढकर आप दोनों अभियुक्तगण ने अपने अन्य साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव बनाते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में सफी अहमद को जान से मारने की नियत से लाठी, डण्डा व अन्य हथियार से मारपीट करते हुए चोट पहुंचायी। आप दोनों के द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर किया गया उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा— 307 / 149 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः—यह कि दिनांक 26.8.2018 को शाम 6 बजे वादी वसी अहमद की दुकान पर चढकर आप दोनों अभियुक्तगण ने अपने अन्य साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव बनाते हुए बलवा कारित किया। आप दोनों के द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर किया गया उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा— 147 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः—यह कि दिनांक 26.8.2018 को शाम 6 बजे वादी वसी अहमद की दुकान पर चढकर आप दोनों अभियुक्तगण ने अपने अन्य साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव बनाते हुए घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया। आप दोनों के द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर किया गया उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा— 148 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचमः—यह कि दिनांक 26.8.2018 को शाम 6 बजे वादी वसी अहमद की दुकान पर चढकर आप दोनों अभियुक्तगण ने अपने अन्य साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतक शोएब व चुटहिल सफी अहमद व वादी को गाली—गलौज देकर अपमानित किया। आप दोनों के द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर किया गया उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा— 504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्ठम्ः—यह कि दिनांक 26.8.2018 को शाम 6 बजे वादी वसी अहमद की दुकान पर चढकर आप दोनों अभियुक्तगण ने अपने अन्य साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतक शोएब व चुटहिल सफी अहमद व वादी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित किया। आप दोनों के द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर किया गया उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा— 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

सप्तम्ः—यह कि दिनांक 26.8.2018 को शाम 6 बजे वादी वसी अहमद की दुकान पर चढकर आप दोनों अभियुक्तगण ने अपने अन्य साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र करते हुए मृतक शोएब व चुटहिल सफी अहमद को लाठी, डण्डा, लकडी की फंटी व धारदार हथियार से मारा पीटा, जिसके कारण शोएब की मृत्यु हो गयी व सफी अहमद घायल हो गया। आप दोनों के द्वारा उक्त कृत्य सह अभियुक्तगण के साथ आपराधिक षडयंत्र करते हुए कारित किया गया। आप दोनों का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा— 120बी भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

और एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(अरविन्द मिश्र)
दि0ः 21—6—2019 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 15,
लखनऊ।

अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुनकर आरोप से आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की ।

(अरविन्द मिश्र)
दि0ः 21—6—2019 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 15,
लखनऊ।